

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. That is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, if that is your ruling, please expunge that part of the records. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. Please sit down. ...*(Interruptions)*...  
I will look into the records. I would check the records. ...*(Interruptions)*...

## GOVERNMENT BILLS

### The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "हरियाणा, कर्णाटक तथा ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

उपसभापति महोदय, मैंने अभी जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसमें हरियाणा, कर्णाटक, ओडिशा, दादरा और नगर हवेली की कुछ अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची नामों को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ, उत्तराखंड को पहले 'उत्तरांचल' नाम से जाना जाता था और सरकारी रिकॉर्ड में भी इसी प्रकार की प्रविष्टि थी, अब हम उसे 'उत्तरांचल' के बजाय 'उत्तराखंड' करने का प्रावधान इसमें कर रहे हैं।

महोदय, लम्बे समय से इन अनुसूचित जातियों को, जो अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची नामों से जानी जाती हैं, उनको भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली अनुसूचित जाति से संबंधित जो सुविधाएँ हैं, वे नहीं मिल पाती थीं, इसलिए उनके हित में यह एक कारगर कदम उठाया गया है। यह जो प्रावधान हम ला रहे हैं, इसको लाने के लिए सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार विचार-विमर्श करके भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजती है, तब भारत सरकार उस पर अपनी जानकारी और टिप्पणी लेने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पास उस प्रस्ताव को भेजती है। अगर रजिस्ट्रार जनरल के पास से उस पर सहमति आती है, तो उसके बाद हम अनुसूचित जाति आयोग की राय जानने के लिए उसके पास भी उस प्रस्ताव को भेजते हैं। अगर दोनों जगहों से सहमति हो जाती है, तो हम उस पर अपनी सहमति देते हैं और कानून में संशोधन करके उस प्रस्ताव में जिन जातियों का उल्लेख होता है, उनको उसमें समाहित कर देते हैं। यहां जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें राज्य सरकार की अनुशंसाएँ थीं और इसके साथ ही साथ आरजीआई ने भी, अर्थात् भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने भी सहमति दी है तथा अनुसूचित जाति आयोग ने भी सहमति दी है। इसलिए हम यह विधेयक माननीय सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सदन इसको सर्वानुमति से पारित करने में सहयोग भी करे। धन्यवाद।

*The question was proposed.*

**श्री पी. एल. पुनिया** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक "दि कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2014," के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अंतर्गत एक व्यवस्था है, जिसके तहत सबसे पहले 1950 में राज्य सरकार से संस्तुति लेकर, सिफारिश लेकर और राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुसूचित जाति की सूची को अनुमोदित किया गया, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया कि अगर भविष्य में इस सूची से किसी को निकालना होगा या जोड़ना होगा तो वह पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट बिल लाकर, कानून के माध्यम से किया जा सकेगा। उसी के तहत माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेकर आए हैं। यह आवश्यकता थी और जैसा कि उन्होंने स्वयं इसका उल्लेख किया। अनेक जगहों पर कुछ अनुसूचित जाति की उपजातियां छूट जाती हैं। जिनको दूसरे शब्दों से बोला जाता है, वे छूट जाती हैं, जब कि वास्तव में वे उसी जाति से संबंध रखती हैं, उसी जाति में उनका विवाह होता है, उसी जाति के साथ उनके सामाजिक संबंध रहते हैं, उन्हीं को जोड़ने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से किया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि पिछले सत्र में एक इसी तरह का प्रस्ताव और आया था और मैंने निवेदन किया था कि आपके यहां पर जितने भी ऐसे लंबित मामले हों, उन सबको लाया जाए और मुझे खुशी है कि आज उसी तरह का एक प्रस्ताव आया है, जो चार राज्यों से संबंधित है। उत्तराखंड की उत्तरांचल के नाम से संविधान में एंट्री है कि उत्तरांचल में कौन-कौन सी जातियां हैं, उसका उल्लेख है, लेकिन उत्तरांचल को अब उत्तराखंड बोला जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता थी, जिसको सही किया जा रहा है। बाकी हरियाणा में एक एंट्री, कर्णाटक में एक और ओडिशा में छः अलग-अलग एंट्रीज में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया कि इसकी प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्य सरकार से आना चाहिए, वह आया और उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सबसे पहले उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, वह उसका परीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं और वह अपनी एडवाइस और संस्तुति मंत्रालय को भेजते हैं। अगर सकारात्मक संस्तुति आई, तो उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श के लिए, एडवाइस के लिए भेजा जाता है और अगर उनकी भी सकारात्मक संस्तुति आती है, तो फिर कैबिनेट में जाकर, उसे पास करा कर यह बिल के रूप में यहां आता है। वही आज हमारे सामने आया है।

मैंने माननीय मंत्री जी से पहले भी निवेदन किया था कि अनुसूचित जाति में आज जो-जो जातियां, उपजातियां सम्मिलित हुई हैं, आज से उनको अनुसूचित जाति के रूप में माना जाएगा और उनको वे सब अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी, जो कि अनुसूचित जाति के वर्ग से संबंधित होती हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अनेक राज्य सरकारें यह संस्तुति तो भेज देती हैं कि इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, लेकिन इनके आने से रिजर्वेशन के कोटे में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसको करने में वे आना-कानी करती हैं, इसलिए इसके लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि अगर इस तरह की जातियों को शामिल करने के बाद अनुसूचित जाति की आबादी बढ़ती है, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन का प्रावधान भी होना चाहिए। यह मेरा कहना है।

[श्री पी. एल. पुनिया]

दूसरी बात यह है कि आज जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं, उनको अनेक तरह की दुश्वारियों से, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उनके लिए अनेक सुविधाएं हैं, नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आज भी किसी भी कैटेगरी में चाहे 'ए' कैटेगरी हो, 'बी' कैटेगरी हो, 'सी' कैटेगरी हो या 'डी' कैटेगरी हो, किसी में भी उसका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है।

इसका क़ानून बनाने का प्रस्ताव पहले से है। पहले यह राज्य सभा से पास हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी श्रेणी लिख दी गई थी जिनके डिज़िज़र्वेशन का प्रावधान था। तब यह कहा गया कि यह रिज़र्वेशन नहीं बल्कि डिज़िज़र्वेशन बिल आया है, इसलिए लोक सभा में उसको रोका गया, लेकिन लोक सभा भंग होने के बाद वहां वह बिल लैप्स हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर जल्दी से जल्दी बिल लाएँ। उसे वे लोक सभा में लाएँ या राज्य सभा में लाएँ, लेकिन यह प्रोसेस जरूर शुरू होना चाहिए। इस पर सभी दलों की आम सहमति है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए।

एक Reservation in Promotion के विषय पर भी क़ानून राज्य सभा से पास हुआ था, लेकिन जब वह लोक सभा में गया तो लोक सभा भंग होने के बाद वहां वह क़ानून भी लैप्स हो गया। यह समय की आवश्यकता है। एम. नागराज केस में यह होल्ड किया जा चुका है कि जो संवैधानिक प्रावधान हैं, संवैधानिक संशोधन हैं, वे constitutionally valid हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाए, कुछ आँकड़े तैयार किए जाएँ कि ये जातियां वास्तव में अभी भी बैकवर्ड हैं या इनका adequate representation नहीं है। चूंकि इन आँकड़ों को प्राप्त करने में कठिनाई थी, इसीलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए यहां पर संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। वह संविधान संशोधन राज्य सभा से पास होने के बाद लोक सभा में गया, लेकिन लोक सभा भंग होने के बाद वह भी लैप्स हो गया। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि उसमें भी ये पहल करें। उसे चाहे डीओपीटी लेकर आए या अन्य कोई डिपार्टमेंट लेकर आए, लेकिन वह आपसे संबंधित है, इसलिए आप इसमें पहल करें, आगे बढ़ें, यह ज्यादा जरूरी है।

इसी के साथ-साथ, हमें उत्पीड़न के मामले में तो सुरक्षा है, क़ानून है, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act है, Protection of Civil Rights Act तथा अन्य नियम भी बने हैं। इसके साथ-साथ, सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी खत्म करने के लिए Special Component Plan, Scheduled Caste Sub-Plan या Tribal Sub-Plan में यह प्रावधान है कि इस संवर्ग की जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर अलग से बजट रखा जाएगा और वह केवल उन्हीं योजनाओं के लिए स्वीकृत होगा, उन्हीं योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जो exclusively उसी समुदाय के benefit के लिए हैं। अगर आज इसे देखा जाए तो पता चलता है कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार यह कहती तो है कि हम इसमें पूरा प्रावधान रख रहे हैं, हम इसमें खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि यह किन योजनाओं पर खर्च हुआ है तो हमें यह देखकर हैरत होती है कि यह सामान्य योजनाओं पर खर्च हुआ है। वे इसे हाइवेज पर खर्च हुआ दिखाती हैं, बड़े-बड़े पुलों पर खर्च हुआ दिखाती हैं कि ये Special Component Plan, Scheduled Caste Sub-Plan या Tribal Sub-Plan के अंतर्गत फंड हैं और इन्हें हमने उनमें खर्च कर दिया है। हमने यह मांग भी रखी थी कि इसके ऊपर भी क़ानून बनना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसमें पहल की और इस पर क़ानून बनाया।

कर्णाटक सरकार ने इस पर पहल की और इस पर क़ानून बनाया। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा भी इस पर क़ानून बनना चाहिए ताकि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के ऊपर बाध्यता हो। उस क़ानून में यह प्रावधान भी होना चाहिए कि जो अधिकारी या संस्थान इसका पालन नहीं करेंगे, फंड्स को डायवर्ट करेंगे, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमने जो सपना Scheduled Caste Sub-Plan और Tribal Sub-Plan के माध्यम से देखा था कि इनकी आर्थिक गैर-बराबरी खत्म की जाएगी, जब इनकी आर्थिक गैर-बराबरी खत्म होगी तो इनकी सामाजिक गैर-बराबरी भी खत्म होगी, वह सपना पूरा नहीं होगा।

मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समुदाय की बहुत सी बैकलॉग की वैकेन्सीज़ को पूरा किए जाने का काम भी पेंडिंग है, इसलिए इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 26, अलीपुर रोड पर एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाने की बात थी। माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने इस बारे में पिछली बार भी गुजारिश की थी। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ और हमारे मान-सम्मान से जुड़ा हुआ जो मसला है, उस पर तीव्रता से कार्रवाई करें। एक संदेश जाना चाहिए कि यह राष्ट्र अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित महापुरुषों का सम्मान करता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस क़ानून को एक संशोधन बिल के रूप में लेकर आए और बहुत समय से आवश्यकता थी और लोगों को इंतजार था कि यह बिल पार्लियामेंट से कब पास हो, कब हमको सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी और इसके पास होने के बाद वे सुविधाएं उन्हें मिलनी शुरू होंगी। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**डा. सत्यनारायण जटिया** (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय। वास्तव में सब के साथ न्याय हो, कोई छूट न जाए और यदि कहीं भाषा में, बोली में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से जो लोग अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु उच्चारण के कारण से, वहां की स्थानीय परिस्थितियों के कारण से जो नाम छूट गए, उन जातियों को सम्मिलित करने का प्रयास समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से होता आया है। यह भी ऐसा ही एक उपाय किया गया है जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया। इसमें कहा गया है कि हरियाणा में प्रविष्टि-19 के स्थान पर जो पहले वहां पर स्थापित थी उसके स्थान पर प्रविष्टि-19 के अन्तर्गत कबीरपंथी, जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा, अब यह थोड़े-थोड़े से मात्राओं के अंतर के कारण से भी, विसर्ग के कारण से भी, अनुस्वार के कारण से भी यह जो अंतर हो जाता है, छोटी-बड़ी मात्राओं के कारण से भी जो अंतर हो जाता है उसके कारण से वे लोग छूट जाते हैं जिनको कि वे सुविधाएं, अधिकार, संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हरियाणा के अंदर यह सुधार लाने का काम हुआ है और जैसा अभी बताया गया है कि इस सुधार को करने की एक प्रक्रिया है। यदि ऐसे कोई लोग जो छूट जाते हैं, समानार्थी समान रूप से वंचित लोग, सामाजिक न्याय से वंचित लोग, सामाजिक शैक्षिक आर्थिक न्याय से वंचित लोगों को तो सम्मिलित करने की एक प्रक्रिया है। उसमें अनुसंधान करके और क्या वे जातियां वास्तव में उस प्रकार के छुआछूत के प्रभाव से प्रभावित हैं? अनुसूचित जातियां वे जातियां हैं जिनको समाज के अंदर गैर-बराबरी, जिनको सामाजिक न्याय, समता से वंचित किया हुआ है, ऐसा समझा जाता है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं जिनसे समाज में समानता का व्यवहार नहीं हो पाता, उनके साथ गैर-बराबरी का व्यवहार होता है और जैसे किसी भी स्थान पर उपयोग करने के लिए भारत के संविधान में वे सारे प्रावधान किए गए हैं। सैक्शन-17 में जब

[डा. सत्यनारायण जटिया]

कहा गया कि इस प्रकार की सारी छुआछूत को समाप्त किया जाता है तो यह "छुआछूत को समाप्त किया जाता है" का अर्थ यह हो गया कि समान रूप से व्यवहार करने से उनको वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए ऐसे सारे लोगों को सम्मिलित करने के उपाय के रूप में हम देखते हैं कि थोड़ा सा सुधार जरूर गांवों में दिखाई देता है, थोड़ा सा शहरों में दिखाई देता है किन्तु मानसिक रूप से अब भी वह छुआछूत जारी है। इसके कारण से जो अंतर हो रहा है उसमें भोजनालयों में, धर्म स्थानों में, स्नान करने की जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर और अन्य स्थानों पर चाहे वह श्मशान घाट ही क्यों न हो, श्मशान के अंदर भी यह मुर्दा यहां नहीं जलेगा क्योंकि यह इस जाति का है, इस प्रकार की विसंगतियां जो हैं, उनको समाप्त करने की दृष्टि से और भारत के संविधान में जो कहा गया है प्रिंसेपल के अंदर, कि हम भारत के लोगो को भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न बनाना है इसलिए सबको बराबरी का दर्जा देना है, सबको समता का दर्जा देना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार इससे कम में समझौता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। इन सारी बातों को समाप्त करने के उपाय के रूप में यह सब किया जाता है और उसके लिए अनुसंधान किए जाते हैं। उन अनुसंधानों के आधार पर यह पाया जाता है कि ये जातियां, ये लोग छूट गए हैं और उच्चारण शास्त्र के कारण से चाहे इनका उच्चारण अलग हो रहा होगा किन्तु ये अनुसूचित जाति के ही लोग हैं। ऐसा अनुसंधान करने के कारण प्रदेश की ओर से ऐसे प्रस्ताव आते हैं और फिर जो रजिस्ट्रार आफ सेंसस होते हैं, वे जनगणना आयोग, उनको सारी बात पर और उनके व्यवसाय के आधार पर, जन्म के आधार पर, उनके प्रकारों के आधार पर वे अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। वह फिर कमीशन में जाता है तथा कमीशन अपनी रिपोर्ट मंत्रालय में देता है और मंत्रालय प्रस्ताव बनाकर के केबिनेट में लाकर के उसको पारित करने के लिए भेजता है और फिर यह विधेयक के रूप में आता है। वह विधेयक के रूप में आता है और फिर राष्ट्रपति जी के यहां से संशोधन जारी होता है। इस तरह की प्रक्रिया है। उसमें जो लोग छूट गए थे, उन्हें शामिल करने का यह एक प्रयास है जोकि निश्चित रूप से एक न्यायपूर्ण कदम है।

कर्नाटक में प्रविष्टियां 23 के अंतर्गत थीं, उसमें भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डुर, वोड्डार, वोड्डुर, बोवी - ये केवल बोली के कारण था, (बिस्ता को छोड़कर), कल्लूवाड्डार, व मन्नूवड्डार कहा गया है। इसी प्रकार ओडिशा में प्रविष्टि 26 व 27 के स्थान पर धोबा, धोबी, रजक, रजाका— ये देश भर में हैं, लेकिन उच्चारण के कारण कहीं-कहीं चूक रह गई, उसमें सुधार किया गया है। प्रविष्टि 27 में डोम, डोम्बों, दुरिया डोम, अधुरिया डोम, अधुरिया डोम्ब - को जोड़ा गया है। प्रविष्टि 44 और 45 के स्थान पर भी कटिआ, खाटिया कहा गया है। उसके आगे 45 में केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सबखिया केला, मटिया केला, गोडिया केला कहा गया है। अब केला में उस प्रकार के विशेषण लगाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश है। प्रविष्टि 46 में खदाल, खादल, खोदल है। प्रविष्टि 91 के स्थान पर तुरी, बेतरा को जोड़ने का प्रयास है। इसी तरह उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड रखा जाना है।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) में अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 की अनुसूची में प्रविष्टि 2 के स्थान पर चमार, रोहित को शामिल किया गया है। इस तरह निश्चित रूप से यह एक प्रक्रिया है। अब यह तो ठीक है कि हम इन सब को सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन सम्मिलित

करने के बाद सब से बड़ी बात यह है कि हमें इस देश के सभी लोगों को साथ लेकर आगे चलना है। "सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना है" इस सिद्धांत की पूर्ति यदि हमें करनी है तो निश्चित रूप से इन के सामाजिक स्तर को बराबर करने के लिए हमें उपाय करने होंगे।

साथ-ही-साथ गांवों में स्थिति यह है कि गरीब लोग अपने शैक्षिक स्तर को ऊपर नहीं ले जा पाते, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग उस शैक्षिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, इस तरह वह शिक्षा का अंतर पीढ़ियों तक बना रहने वाला है क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसलिए उन लोगों के लिए शिक्षा की पूर्ति के लिए हमें विशेष उपाय करने होंगे, विशेष ध्यान देना होगा। इनके पास रोजगार नहीं हैं और इस कारण ये लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। इनके परिवार में संपन्नता दूर तक नहीं दिखायी देती है, उन्हें स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए सर्वांगीण रूप से जाति के सुधार का काम हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बाकी कामों को करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2014 में अपने संशोधन प्रस्ताव रखने व बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं माननीय प्रोफेसर साहब व नरेश अग्रवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। महोदय, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए विधेयक संख्या 4 के साथ मैं कुछ संशोधन पेश कर रहा हूँ :

पृष्ठ 2 पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्—

(ड.) भाग 18 उत्तर प्रदेश में -

- (1) प्रविष्टि 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—  
"18 बेलदार, बिन्द",
- (2) प्रविष्टि 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—  
"गोंड, गोडिया, कहार, कश्यप, बाथम",
- (3) प्रविष्टि 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—  
"53. मझवार, मल्लाह, केवट, मांझी, निषाद, मछुवा,
- (4) प्रविष्टि 59 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—  
"59. पासी, तरमाली, भर, राजभर"
- (5) प्रविष्टि 65 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—  
"65. शिल्पकार, कुम्हार, प्रजापति"
- (6) प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—  
"66. तुरैहा, तुरहा, धीमर, धीवरा"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

महोदय, उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, तथा मछुवा) को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव एससी/एसटी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इथनोग्राफिकल सर्वेक्षण/अध्ययन आख्या सहित भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को 10 मार्च, 2004, 31 दिसम्बर, 2004, 16 मई, 2006, 6 नवम्बर, 2006, 12 जनवरी, 2007, 4 मार्च, 2008 और 15 मार्च, 2013 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पत्र संख्या ओ-601/सीएम-1-2013, 16 दिसम्बर, 2013 को भेजा गया ।

और दूसरे पत्रांक संख्या ओ-517/सीएम-1-2014, दिनांक 1 दिसंबर, 2014 द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही है कि ये जो 17 पिछड़ी जातियां हैं, जो इनकी पर्यायवाची जातियां हैं, उनको छोड़ दिया गया है। चूंकि आज यह बिल आया है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, जहां उक्त जातियों की जनसंख्या 8 प्रतिशत से अधिक है, इनमें 65 से 90 प्रतिशत तक लोग मजदूरी करके जीवन-यापन करते हैं। इनके 50 प्रतिशत से अधिक पुरुष अशिक्षित हैं तथा महिलाएं 80 प्रतिशत से अधिक अशिक्षित हैं। इनके आपस में विवाह, जीवन शैली, व्यवसाय और रीतियों की दृष्टि से बेलदार, गोंड, मझवार, पासी, तरमाली, शिल्पकार, तुरैहा की परंपराएं एक जैसी हैं, क्योंकि ये इनके पर्यायवाची नाम हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी भैया राम मुंडा बनाम अनिरुद्ध पटार, एआईआर 1971 पृष्ठ 2523 में मछुवा समुदाय की पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का अधिकार दिया, जो पहले से छूट गयी थीं, लेकिन उन्हें अब भी अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया गया है तथा देश के विभिन्न राज्यों में मछुवा समुदाय की उपजातियों का खान-पान, रहन-सहन, शादी-ब्याह, रीति-रिवाज एक जैसा है तथा एक-दूसरे से रोटी-बेटी का संबंध है। जो एक दूसरे की पर्यायवाची जातियां (पुकारू नाम) से जानी जाती हैं। असम में जलकुउट, झालो-मालो, कैबर्ता जालिया, पश्चिम बंगाल में बिंद, जालिया कैबर्ता, झालो-मालो, केउट, केयोत, महार, मल्लाह, संघ क्षेत्र दिल्ली में मल्लाह, त्रिपुरा में जालिया कैबर्ता, कहार, केउट, उत्तराखंड में बेलदार, गोड, मझवार, मध्य प्रदेश में कीर, खैरवार, मांझी, मझवार, महाराष्ट्र में कोली, महादेव कोली, कल्हार कोली, डोंगर कोली एससी/एसटी सूची में शामिल हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोक सभा क्षेत्र से हमारे एक भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, वे मल्लाह सर्टिफिकेट से चुनकर आए हैं, अनुसूचित जाति के हैं। उनकी पर्यायवाची जातियों को छोड़ दिया गया है। हमारा कहने का मतलब यह है कि इन्हें इसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा आरक्षण न मिलने के कारण केंद्र व प्रदेश सरकार की नौकरियों में इनकी भागीदारी नगण्य है। आरक्षण न मिलने के कारण इन्हें राजनीति तथा आईएएस, आईपीएस की नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल रही है।

मान्यवर, पिछले सत्र में जब एक और संशोधन आया था, तब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी 27.11.2014 को माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से लोक सभा में कहा था कि कहार, कश्यप, केवल, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर,

बाथम, तुराहा, गोडिया, मांझी को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने 10 अक्टूबर, 2005 को उक्त जातियों को, जिनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पिछड़ी है, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा देने का काम किया था।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने पुनः भारत सरकार द्वारा मांगी गई इथनोग्राफिकल सर्वेक्षण/अध्ययन आख्या में उक्त जातियों के नागरिकों के लिए भी जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने हेतु वांछित विशिष्टताएं, योग्यताएं व अर्हताएं रखती हैं, ऐसा मानते हुए इन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 15 फरवरी, 2013 को अपनी प्रबल संस्तुति सहित केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद लगातार पत्र दिसंबर, 2013 और दिसंबर, 2014 को भेजा। प्रधान मंत्री जी से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले पाई। हम अनुरोध करना चाहते हैं कि बार-बार इसमें कह दिया जाता है कि उनके साथ आज छुआछूत नहीं है। यह तो संविधान में व्यवस्था है कि किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। हम माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद भी इनकी पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने विधेयक में, जैसे दादरा-नगर-हवेली के संबंध में पैराग्राफ संख्या 2, पंक्ति 17 में 'चमार' के साथ 'रोहित' को जोड़ा और अन्य पर्यायवाची जातियों को जोड़ा है, यह भी 17 अनुसूचित जातियों को जोड़ने जैसा ही कार्य है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो प्रस्ताव आपके पास लंबित है और उसके बारे में आप कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ।

माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी आपको बार-बार पत्र लिख रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। जब अनुसूचित जाति शोध संस्थान की रिपोर्ट आ चुकी है और संस्तुति आ चुकी है, तो उसमें आप निर्णय क्यों नहीं लेते हैं और उसमें देरी क्यों हो रही है? माननीय प्रधान मंत्री जी को, अभी हाल ही में दो पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखे हैं। उन पर आपको विचार करना चाहिए।

मान्यवर, एक विसंगति है। वैसे भी यदि देखा जाए, तो अब भी कुछ जातियां ऐसी हैं, जैसे बाल्मीकि है, उसे आरक्षण का लाभ तो मिला है, लेकिन उनकी शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं होती है। इसी प्रकार पासी है, कटेरिया है और तमाम ऐसी जातियां हैं, जो जातियां राजनीतिक और आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हुए भी अनुसूचित जातियों में हैं, वे जातियां अनुसूचित जाति के कोटे में भी हावी हो जाती हैं, वे ज्यादा लाभ ले जाती हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति शोध संस्थान की ओर से जो रिपोर्ट भारत सरकार को आई है, उसे स्वीकार किया जाए और इसी विधेयक के साथ उसे प्रस्तुत किया जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।



**श्री अली अनवर अंसारी** (बिहार): उपसभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए आपको शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह बिल पेश किया है। यह अच्छा बिल है। इसका हम लोग समर्थन करते हैं। अलग-अलग नाम से एक ही जाति के लोग कई राज्यों में पुकारे जाते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाने से कई जातियाँ छूट जाती हैं। उर्दू में एक मसल है कि—

*"नुक्ते के फर्क से खुदा जुदा हो जाता है"*

कभी-कभी नुक्ते के फर्क से बेचारे लोग छूट जाते हैं।

महोदय, जटिया साहब, कवि भी हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बातें रखी हैं। पुनिया साहब, तो शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन के चेयरमैन हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं एक बात सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि piecemeal में आप ये सब चीजें ला रहे हैं। आप एक बड़े दायरे में चीजों को देखिए। और भी कई नीतिगत मामले हैं। संविधान की धारा 341 में शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन का मामला आता है और धारा 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब का मामला आता है। इस मामले में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की भी सिफारिश आई है और national consensus भी बना है और पिछले हाउस में भी किसी न किसी रूप में यह मामला आया था। वह मामला यह है कि जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में पूरे देश में कुछ लोगों को जोड़ने की जरूरत है, वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में भी जोड़ने की जरूरत है और इसमें तो रिलीजन का कोई बंधन नहीं है।

महोदय, हरियाणा की बात यहां की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में एक कबीला 'मेव' है। जिस प्रकार से मीणा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, वैसे ही मेव कबीला है। वहां तो कहा ही जाता है कि 'मेव मीणा एक समान, हिन्दू हो या मुसलमान' और ब्रिटिशर्स ने, मेव और मीणा, दोनों को जरायम पेशा कबीला घोषित किया था, क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया हुआ था, लेकिन आजादी के बाद, आपने मीणा को तो शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर दिया, अच्छी बात है, वे डिजर्व करते हैं, लेकिन मेव को आपने छोट दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वे मुसलमान हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म को कुबूल किया है। उनका गोत्र, पाल, खान-पान, रहन-सहन और नाक-नक्श सारी चीजें एक तरह की हैं, लेकिन आपने उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित नहीं किया और वह ऐसा कबीला है कि जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग लिया, उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। 1527 ईस्वी में 12000 मेवाती मुसलमानों ने बाबर की सेना से लड़ाई लड़ी, जिसके बारे में आपके मोहन भागवत जी ने बयान दिया है। आप भी वहां थे। मेव कबीले ने बाबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें वे शहीद हुए थे। उसके साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आप बड़ा दिल दिखलाइए, मीणा पहले से है, मेव को भी, जो एक ट्राइब है, उसको भी उसमें शामिल कीजिए।

महोदय, दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्र कमिशन ने, माइनॉरिटी कमिशन ने स्टडी कराई है और जितनी भी दलित पार्टियां हैं, तमाम लोगों ने, शेड्यूल्ड कास्ट कमिशन ने भी माना है कि ब्रिटिश पीरियड में शेड्यूल्ड कास्ट्स के मामले में रिलीजन का कोई bar नहीं था। उस समय हिंदू धोबी, हिंदू भंगी, उसी तरह से मुसलमानी धोबी और मुसलमान

हलालखोर भी, इस तरह नट, बक्खो, पवरिया, भटियारा, गडेरी, इस तरह की जो जातियां हैं, वे भी शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में थीं, लेकिन 1950 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिलीजन का bar लगा दिया गया। रंगनाथ मिश्र कमिशन की जो terms of reference थीं, इसी बुनियाद पर थीं कि आप तय करके बताइए और उपाय बताइए, तो आप बड़ा दिल दिखलाइए। आप अगर वास्तव में देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो ईसाई में जो दलित हैं, मुसलमानों में जो दलित हैं और कई राज्यों में हैं, हालत तो यह है कि हरियाणा में आपने जुलाहे को लिया है, लेकिन दूसरे राज्यों के जुलाहे, झारखंड के जुलाहे कहां जाएंगे? उनके नाक-नकश देखिए, उनका खानपान देखिए, उनकी औरतें भी अपने बच्चे को पीठ पर लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं। ...**(समय की घंटी)**... वे अपनी पीठ पर बच्चे को लेकर रोपनी और सोहनी करती हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right.

**श्री अली अनवर अंसारी:** उनके साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right.

**श्री अली अनवर अंसारी:** हैला हैं, हलालखोर हैं, वही है, जो मैला साफ करता है, सिर पर ढोता है, वह मुसलमान है।

**श्री उपसभापति:** अंसारी जी, समाप्त कीजिए। कन्क्लूड कीजिए।

**श्री अली अनवर अंसारी :** महोदय, अलग-अलग ग्रेवयाडर्ज हैं, अलग-अलग गिरिजाघर हैं। जो हिंदू दलित से मुसलमान बना है, जो हिंदू पहले था और ईसाई धर्म जिसने कबूल किया है, उसके साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो आप बड़ा दिल दिखलाइए। ...**(समय की घंटी)**... नैरो-माइंड से आप इतने बड़े देश का संचालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए महोदय, आपका यह छोटा सा काम है, यह सही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में बड़ा दिल दिखलाकर इन लोगों को भी समाहित करेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया।

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद अंसारी जी। Now, Shri Ahamed Hassan.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Respected Deputy Chairman, Sir, the whole process of reservation for the Scheduled Castes and including them in the list has a long history. Gandhiji devoted his whole life for the temple entry of the so-called untouchables. Our Constitution eliminated untouchability from the country. The main drafting was done by Baba Saheb Ambedkar, who was the champion of the Scheduled Castes. Then, for the first time, reservation was included or introduced.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair.*]

The present Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962. It adds new communities to the list of Scheduled Castes in Haryana, Karnataka, Odisha and Dadra and Nagar Haveli. It updates the name of Uttaranchal to Uttarakhand in the list.

[Shri Ahamed Hassan]

Sir, the socio-economic and caste surveys being conducted by the Ministry of Rural Development and the Ministry of Urban Development must be completed at the earliest so that the Government can easily determine which communities should be included in or excluded from the list of Scheduled Castes. This has also been recommended by the Standing Committee. The Standing Committee also pointed out that while several new communities have been added to the list of Scheduled Castes, the percentage of reservation has remained the same. The Government must revisit the reservation policy.

In this respect I want to mention that in my State of West Bengal, the Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee has started a new scheme called *Sikkha Shree* aimed at social and educational upliftment of SCs/STs and OBCs by providing financial assistance to the students of sixth class and eighth class. The Government of West Bengal has distributed 9.5 lakh caste certificates in 2013 alone whereas the previous Government has distributed 8.11 lakh caste certificates in 2009-10. In the last three years the Government of West Bengal has extended the facility of scholarships to almost 834 lakh students belonging to the SCs/STs and OBCs. Sir, the welfare of SCs/STs and OBCs is an affirmative action taken by the Government of West Bengal to remove the persistent, present and continuing efforts of caste discrimination of particular segments of the society. I would ask the Government to have a re-look at the funds allocated for this cause. Thank you.

SHRI A.W. RABI BERNARD (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 which includes certain castes in the States of Haryana, Karnataka and Odisha in the List of Scheduled Castes, including certain group of men and women into the List of Scheduled Castes/Scheduled Tribes is expected to emancipate, empower, and enrich them. It gives them equal share in the progress of the nation. Whatever the nation earns, whatever the nation acquires new, it is expected to be shared with this group of men and women when we include them in the List of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. What is the caste system? It is apartheid of enormous proportion. It is Jim-Crowism of fantastic proportion. It is the most sinful act man can do to his fellow human being. Untouchability is the most sinful act a human mind can think of. Untouchability has deprived millions of people for generations together from leading a reasonably good life. Life itself becomes a burden to them. Untouchables in this country have suffered much more tyranny, much more deprivation than any other section of human kind has experienced. In that context I urge upon this Government to pay heed to the demand of Dalit Christians to include them in the list of Scheduled Castes and Badagas in the list of Scheduled Tribes.

My respected hon. leader, the leader of the Tamil people Puratchi Thalaivi Amma has repeatedly written to the Government of India to include Dalit Christians and Badagas in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a long pending demand. Let this Government pay heed to this demand. Thank you.

**श्री वीर सिंह** (उत्तर प्रदेश): महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर मैं अपनी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक हरियाणा, कर्णाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का और संशोधन करने हेतु लाया गया है। महोदय, यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और (2) के उपबंधों के अनुसरण में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियां निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए थे। जिन्हें संसद द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था जिसके फलस्वरूप संबंधित राज्य संघ क्षेत्र की सरकारें कतिपय समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए उपांतरण प्रस्तावित कर सकें। उक्त प्रस्तावों पर भारत के महा रजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सहमति आवश्यक है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा यह विधेयक लाया गया जिसमें कुछ समुदायों व जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। यह माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने का कदम उठाया गया है, यह बहुत अच्छा है। किन्तु अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति का जो कोटा है, वह उतना का उतना ही है। एक तरफ तो इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और आरक्षण कोटे को बढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरे देश में समय-समय पर विभिन्न राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं, कुछ समुदायों को, जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए और उनकी संख्या बढ़ गई है, जब उनकी संख्या बढ़ी है, तो क्या आपने या आपसे पूर्व की सरकारों ने या आज आप इस आरक्षण कोटे को बढ़ाने का प्रावधान करेंगे? आप इस सवाल का उत्तर अवश्य दें।

आज पूरे देश में अनुसूचित जातियों की हालत बहुत ही गंभीर है। उनका जितना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होना चाहिए था, उतना अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा के मामले में तो पूरे देश में अनुसूचित जाति के बच्चों का बहुत ही बुरा हाल है। आज हमारे देश में शिक्षा प्रणाली दोहरी हो चुकी है। आज गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जब वह अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, तो वह नौकरियों में भी नहीं जा सकता। शिक्षा को समान करना चाहिए। इसके साथ-साथ जो केंद्र सरकार से प्रदेश सरकारों को शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है, जो प्रवेश होता है, जो एडमिशन होता है, उसके लिए फीस एडमिशन से पहले जाती थी, आज पूरे देश में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें अनुसूचित जाति के छात्र जब प्रवेश लेने के लिए जाते हैं, तो उनसे पहले पैसा जमा करवाया जाता है और कहा जाता है कि जब सरकार से आपकी फीस का पैसा आ जाएगा, तब वह पैसा वापस कर दिया जाएगा। गरीब बच्चों के पास एडमिशन के समय पहले फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता है इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से

[श्री वीर सिंह]

अनुरोध करूंगा कि ऐसा प्रावधान किया जाए कि समय से पहले प्रदेश सरकारों को पैसा भेजा जाए जिससे कि समय से उनको छात्रवृत्ति मिल जाए और समय से उनका एडमिशन हो जाए ।

आज पूरे देश में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं । यह एक सोची-समझी साजिश है केंद्र सरकार की, चाहे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में आज आपकी सरकार है। पूरे देश में, तमाम प्रदेशों में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति जाती है, वह उनको कई-कई साल की नहीं मिली है। हमारे उत्तर प्रदेश में दो-दो, तीन-तीन साल की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। इस कारण से बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** वीर सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो रहा है ।

**श्री वीर सिंह :** आज देश के संविधान को लागू हुए 65 साल हो गए हैं। अभी तक सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का बैकलॉग पूरा नहीं है। डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान को लागू करते समय कहा था ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं एक मिनट का टाइम लूंगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति के वर्ग को और अन्य वर्गों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। किन्तु जो सुविधाएं भारतीय संविधान के तहत मिलने वाली हैं, वे सुविधाएं तभी मिलेंगी, जब सरकार चलाने वालों की नीयत साफ होगी।

सरकार किसकी रही है? सरकार या तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की रही है या भारतीय जनता पार्टी की रही है। इन दोनों ही पार्टियों की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज तक किसी भी प्रदेश में backlog पूरा नहीं हुआ है। यदि कहीं पर backlog पूरा हुआ है, तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ है और वह भी उस समय हुआ है जब वहां पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्य मंत्री थी। उन्होंने अपने शासनकाल में अनुसूचित जाति के लोगों का सरकारी नौकरियों में जो backlog था, उसको पूरा करने का काम किया था ।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से प्रदेश सरकारों को जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा जाता है, प्रदेश सरकारें उस पैसे को अनुसूचित जाति के लोगों पर खर्च न करके अन्य मदों पर खर्च कर देती हैं । जैसे कि यूपीए शासनकाल में 2010 में दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्स हुए थे, तो 744 करोड़ रुपया ...**(समय की घंटी)**...

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** श्री टी.के. रंगराजन।

**श्री वीर सिंह :** जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा था, वह कॉमनवैल्थ गेम्स पर खर्च कर दिया । खर्च कर दिया, अच्छी बात है, किन्तु हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने कई बार आवाज उठाई कि यह दलितों का पैसा है और यह उनके विकास के कार्य के लिए है तथा इस पैसे को उनके विकास पर ही खर्च किया जाए, तो आज तक वह पैसा वापस नहीं दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा जाता है, वह उन्हीं पर खर्च होना चाहिए और प्रदेश सरकारें उस पैसे को अन्य मदों पर खर्च न करें। मैं इन्हीं सुझावों के साथ, इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am supporting the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 for including some more Scheduled Castes in the list. After 65 years, we are still identifying State after State. We have to come to a final solution. So, I, on behalf of my Party, suggest that there must be a Commission and that Commission should go to every State. People have become conscious. They identify their caste and then they apply. It comes here after 10 years or 15 years. I request the Government to come out with some mechanism to include the rest of the SCs and STs in the list. As recommended by the Standing Committee, the socio-economic survey be conducted by the Ministry of Rural Development and the Ministry of Urban Development, and it should be completed at the earliest. This will facilitate the Government to find out which caste has to be included and which caste has not to be included. This has to be done at the earliest possible. This is my first suggestion.

Secondly, you are increasing the number. But the reservation stands as it is. You have to find out some way without affecting other reservations. You must provide some cushion to the incoming Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You have to find it out.

Thirdly, now there is no Planning Commission. What are you going to do with the SC and ST Sub-Plan? Already, Sub-Plans have been misused. We have seen it. My colleague, Shri Veer Singh, has just now spoken about the Sub-Plan money being siphoned off during the Commonwealth Games. This is happening in so many States. You have no right to take that money. The money allotted for SCs and STs should be spent only on them for their future. There must be some strict approach towards tightening the regulation. Otherwise, what happens is, people do not have mouth. They will not cry, they will keep quiet.

My final point is about dalit Christians and dalit Muslims. When you are able to bring Buddhist dalits and sikh dalits into the Dalit list, why not Christians and Muslims? Some time back, our former Prime Minister received a delegation. He had assured them that the dalit Christian community would be included in the SC and ST list. I feel that the Government should consider this also.

With these words, I support the Bill.

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** श्री रामदास अठावले ।

**श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) :** उपसभाध्यक्ष जी, मैं आरपीआई (ए) पार्टी की तरफ से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । एक बात तो यह है कि यहां पर हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा की कुछ जातियों का उपांतरण करने के लिए विधेयक लाया गया है, लेकिन बाकी के राज्यों से भी कुछ जातियां

[श्री रामदास अठावले]

इसमें लेने के संबंध में एक स्टडी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शैड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन 16.2 परसेंट थी, उसको आरक्षण 15 परसेंट ही मिलता है। पॉपुलेशन की परसेंटेज के मुताबिक 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए बहुत कष्ट झेलकर रिजर्वेशन लेने की कोशिश की थी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में जो कांस्टीट्यूशनल असेम्बली थी, उसमें सभी पार्टीज के मैम्बर्स ने शुरू में इस आरक्षण का विरोध तो किया था, मगर बाद में इसको समर्थन देकर कानून बनाया। संविधान के माध्यम से शैड्यूल्ड कास्ट को 15 परसेंट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को 7.5 परसेंट आरक्षण मिला है। तब जितनी पॉपुलेशन थी, उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिला था, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ी है। शैड्यूल्ड कास्ट की यह पॉपुलेशन 15 परसेंट से बढ़कर 16.2 परसेंट हुई है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन 8.2 परसेंट हो गई है। इसके मुताबिक मुझे लगता है कि अगर आप अन्य जातियों को इसमें बढ़ा रहे हैं, तो आरक्षण को भी पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र के बालकृष्ण रेनके कमीशन ने घुमन्तु जातियों के विषय में कहा है। देश भर में जो घुमन्तु कम्युनिटीज हैं, यूपीए की सरकार के टाइम पर उनका सर्वे करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक कमीशन अपॉइन्ट किया गया था। उसने उनकी स्टडी करके बताया था कि पूरे देश भर में जो घुमन्तु कम्युनिटीज हैं, उनके लिए अलग से 10 परसेंट आरक्षण देने की आवश्यकता है। घुमन्तु कम्युनिटीज की स्थिति एस.सी./एस.टीज. से भी बहुत बदतर है, इसलिए उनको अलग से 10 परसेंट आरक्षण देने की आवश्यकता है। यह जो आरक्षण है, यह शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलने से बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लोक सभा में भी मांग की थी कि बाकी कम्युनिटीज—ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी, जिन जातियों को एस.सी./एस.टीज और ओबीसी में उपांतरण करने की बात है, ऐसी जातियों में भी कुछ फैमिलीज हैं, जिनमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की संख्या है, इसलिए उनको भी 20 या 25 परसेंट आरक्षण देना चाहिए। हमारा यह कहना है कि यह बात नहीं हो कि पूरा हमें ही मिलना चाहिए, हमारा हमको दे दो, तुम्हारा तुम ले लो, मतलब आप भी थोड़ा-थोड़ा खा लो, हमको भी थोड़ा-थोड़ा खाने दो। इसी तरह से ऐसी हमारी सोच है कि सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इनका बैकलॉग पूरा होना चाहिए। मतलब यह है कि इनके हाथ में साठ, पैंसठ साल सत्ता रही, लेकिन इन लोगों ने बैकलॉग पूरा नहीं किया है, अभी आपके हाथ में सत्ता आ गई है, आप क्या करते हैं, हम यह देखेंगे। हम सभी लोग आपके साथ हैं, इसलिए आप वह बैकलॉग पूरा करने लिए स्पेशल ड्राइव लाएं। आपको एक स्पेशल ड्राइव लाकर वह बैकलॉग पूरा करना चाहिए।

प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। अगर कांस्टीट्यूशन ने 15 परसेंट और 7.5 परसेंट आरक्षण स्वीकारा है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह खाली क्लास 4 या क्लास 3 में है, यह आरक्षण हर कैटेगरी में होना चाहिए। चाहे हाई कोर्ट के जजेज हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, अगर हमारे दलित समाज के जज वहां आ जाएंगे, तो अच्छी जजमेंट आ जाएगी। अभी बहुत अच्छी जजमेंट नहीं आती है, इसलिए वहां पर हमारे समाज के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हमें क्लास वन और सुपर क्लास वन में भी आरक्षण देने की आवश्यकता है। इसीलिए

मुझे लगता है कि अभी यूपीएससी ने यह जो निकाला है कि जो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स हैं—यदि कोई एस.सी./एस.टी. का स्टूडेंट मेरिट में आता है, तो उनका नाम मेरिट की लिस्ट में जाना चाहिए, मगर वह शैड्यूल्ड कास्ट का है, इसलिए उसको शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में ही डालते हैं, यह हमारे ऊपर अन्याय है। पहले ऐसा कानून था कि मेरिट में आने वाले ऐसे स्टूडेंट जनरल कैटेगिरी में चले जाते थे, इसलिए वह काम भी होना चाहिए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर दलितों को न्याय नहीं मिलेगा, तो उनका संसार कैसे चलेगा?

अगर गांव-गांव में दलितों का घर जलेगा, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? गहलोट जी हमारे अच्छे मित्र हैं और वे अच्छी तरह से मंत्रालय चला रहे हैं। चूंकि आप मंत्रालय अच्छा चला रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह डिपार्टमेंट दिया है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आप जो विधेयक लाए हैं, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग भी, जो शैड्यूल्ड कास्ट से क्रिश्चियन बने हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और कई राज्यों में शैड्यूल्ड कास्ट से जो लोग धर्मांतरित हुए हैं, वैसे क्रिश्चियन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हिन्दू समाज के लिए मैंने जो मांग की है कि हिन्दू समाज में भी जो उच्च जातियां हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप ब्राह्मण को भी आरक्षण दीजिए, और सब लोगों को भी आरक्षण दीजिए। इसलिए सोशल जस्टिस मंत्रालय में एक बार आप इसके बारे में अच्छी तरह से विचार कीजिए और सभी जातियों को आरक्षण दीजिए।

हमारी एक मांग है। महाराष्ट्र में एक 'धनगर' कम्युनिटी है। 'धनगर' कम्युनिटी को शैड्यूल्ड ट्राइब में लाने की मांग है। यह कम्युनिटी, जो एक ट्राइब थी, अभी शैड्यूल्ड कास्ट में है। उनकी मांग है कि उनको नोमैडिक ट्राइब में डालना चाहिए। इस पर भी मंत्रालय को विचार करना चाहिए और सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत।

**डा. विजयलक्ष्मी साधु** (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं—The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014, मैं इसका समर्थन करती हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में हर राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। राज्यों की स्थितियां भी अलग हैं। किसी राज्य में कुछ जातियां अनुसूचित जाति में शामिल की गई हैं, वहीं वे जातियां किसी अन्य राज्य में ओबीसी में शामिल की गई हैं, सिर्फ मात्रा या शब्दों की खामियों की वजह से। आज आप कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए यह बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करती हूँ। संविधान में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक परिस्थितियों का उन्नयन और विकास हो और देश की मुख्यधारा में इनका भी प्रतिनिधित्व हो, इस आशय और उद्देश्य को लेकर कुछ जातियों को इसमें शामिल किया है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ जातियां, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए राज्यों से उनके प्रस्ताव केंद्र सरकार को आते हैं। कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए और आरक्षण लेने के लिए वे इसमें शामिल होना चाहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि गुण-दोष के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं और उनकी शैक्षणिक



[डा. विजयलक्ष्मी साधु]

व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसी जातियों को शामिल करना जरूरी होता है। केवल राजनीतिक दृष्टि से कि इसकी सरकार वहां है या उसकी यहां है, उस आधार पर अगर हम इन्हें शामिल करते रहेंगे, तो जो वास्तविक जातियां हैं, जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति में शामिल किया है, वास्तविकता में जो बेनिफिशियरी है, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, वे कहीं-न-कहीं मुख्यधारा से हट जाएंगी और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम जातियां हैं, वे कहीं-न-कहीं इसका लाभ लेती रहेंगी और जो मुख्य जातियां हैं, जिनको इसमें होना चाहिए, वे दूर हटती जाएंगी। इसलिए हमारे पूर्वजों का जो एक उद्देश्य और आशय था, हम कहीं-न-कहीं उससे भटकते जाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से गुण-दोष के आधार पर इन जातियों को आज की परिस्थितियों में शामिल करने का निवेदन करना चाहूंगी।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी कहा कि जातियां जुड़ती जाती हैं, लेकिन आरक्षण का जो प्रतिशत है, वह वहीं-का-वहीं रहता है। चूंकि संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से जातियां जोड़ते जाएंगे और आरक्षण वहीं-का-वहीं रहेगा, तो उससे हमें कहीं-न-कहीं नौकरियों में या शिक्षा के स्तर पर वहां पर कमियां महसूस होंगी और उसकी जो पूर्ति होनी चाहिए, वह पूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब सभी जातियां और सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे, तो ऑटोमैटिकली वे सामाजिक रूप से सक्षम भी होंगे और समाज के अन्दर उनकी पहुंच भी बढ़ती जाएगी।

आज देश के अन्दर शिक्षा की जो गतिविधियां चल रही हैं, उनसे शिक्षा का स्तर घटता चला जा रहा है। अगर मैं यह कहूँ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वे सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की कैटेगरी के लोगों के लिए ही चल रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। अन्य जो दूसरे लोग हैं, बड़े लोग हैं, कई ओबीसी भी हैं, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करते जा रहे हैं। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वे सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक ही सीमित रह गए हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिनसे बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल सके, वह हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। कहीं-कहीं पर तो प्राथमिक और मिडिल स्कूल्स को, जहां पर 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं, एक सिंगल टीचर ही चलाता है। इसके अतिरिक्त आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचरों से कितनी सारी गतिविधियां करवाई जाती हैं। उनको निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जनगणना की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। वे बच्चों को पढ़ाएं या इन गतिविधियों में शामिल रहें? इन्हीं सब कारणों से शिक्षा का जो स्तर वहां होना चाहिए, वह नहीं के बराबर है।

हम देखते हैं, आरक्षण के माध्यम से नौकरियों के अन्दर जब इस कैटेगरी के बच्चे आवेदन करते हैं, तो कई बार यह कह कर उनकी भर्ती नहीं की जाती है कि हमें सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले। इसका मुख्य कारण यह है कि कहीं न कहीं हम लोग ही शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी गुणवत्ता नहीं दे पा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान एक ओर मुद्दे की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी। इस कम्युनिटी के बच्चे जब प्रोफेशनल कॉलेजिज़ में एडमिशन लेते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो अथवा अन्य प्रोफेशनल कॉलेज हो, समय पर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जिसके कारण उनको कॉलेज तक छोड़ना पड़ता है। इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है।

कई माननीय सदस्यों ने Special Component Plan के बारे में बात कही है। यह बात सही है कि सरकारें चाहे कोई भी रही हों, आजादी के बाद से ही इस कम्युनिटी के उत्थान के लिए राज्यों को बहुत सारा पैसा जाता रहा है, साथ ही अलग-अलग मंत्रालयों को भी इनके लिए पैसा जाता रहा है, लेकिन जिन योजनाओं पर वह पैसा लगना चाहिए, उन योजनाओं पर न लगते हुए वह पैसा कहीं न कहीं डायवर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करती हूँ। जब मैं वहाँ पर मंत्री थी, उस समय जब हमने इसका रिव्यू किया। हमें पता चला कि छोटे किसानों को खेती में बढ़ावा देने के लिए अगर किसी विशेष योजना के तहत कृषि विभाग को पैसा गया, तो उस पैसे का उपयोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टीचर्स को तनखाह देने में हुआ। कहीं पर वह पैसा अंगूर की खेती के लिए दिया जा रहा था। आज की डेट में जब पचास-पचास एकड़ भूमि वाले किसान भी अंगूर की खेती नहीं कर सकते, तो दो और तीन बीघा जमीन वाला किसान अंगूर की खेती कहां से करेगा? जो योजनाएं पचास साल पहले से चली आ रही हैं, आज भी वे वैसी की वैसी ही चल रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इन योजनाओं को कहीं न कहीं रिव्यू करने की आवश्यकता है, जिससे सही मायने में सही व्यक्तियों तक उनका बैनिफिट पहुंच सके।

2005 से 2009 तक यूपीए की गवर्नमेंट ने Low-Cost Sanitation Scheme के लिए 400 करोड़ रुपया दिया था, जिसमें से सिर्फ 20% रुपया ही खर्च हो पाया था। इसका कारण यह है कि योजनाएं तो बहुत बन जाती हैं, कानून बहुत बन जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको सही नीयत से लागू भी करें, तभी सही मायने में इन योजनाओं का लाभ इस कम्युनिटी के लोगों को मिल सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री, श्री गहलोत साहब से इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैनिफिट देने की आवश्यकता है। आप कानून बना दीजिए, योजनाएं ले आइए, लेकिन अगर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी मंशा अच्छी है, हमारी मंशा भी अच्छी है, लेकिन अगर योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, तो इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। आज हमें सही रूप से इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डा. भूषण लाल जांगड़े** (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 (संशोधन) विधेयक 2014 लाया गया है, जिसके अनुसार हरियाणा, कर्णाटक, ओडिशा, उत्तराखंड और दादरा एवं नगर हवेली की कुछ अनुसूचित जातियों के नाम, मात्रावश एवं स्थान के अनुसार एक ही जाति को अलग-अलग पुकारते हैं, जिसके कारण संविधान की 1950 की अनुसूची

[डा. भूषण लाल जांगड़े]

में समय-समय पर बदलाव होने लगा है। एक ही जाति को अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, जबकि उनमें रोटी-बेटी का संबंध होता है। जैसे धोबी, धोबा, रज्जक, रजाका एक ही जाति के अलग-अलग नाम हैं। छत्तीसगढ़ में सूर्यवंशी जाति के मिशाल में रोहीदास, रविदास, रैदास आदि लिखा हुआ है। वहां भी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेक जातियां अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए अपनी जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में जुड़वाने में लगी हुई हैं, जबकि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने छुआछूत को कभी भी नहीं झेला है। उनका सामान्य वर्गों के साथ उठना-बैठना है। उन्हें सभी कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। उन्हें धार्मिक अनुष्ठान एवं मंदिर प्रवेश में मनाही नहीं है। उन्हें अपशब्द से नहीं पुकारा जाता है। उनके साथ नाऊ, धोबी, राऊत काम करते हैं। आज भी अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार में नाऊ, धोबी, राऊत काम नहीं करते, उनके गाय-भैंस को भी नहीं चराते और उनका क्रिया-कर्म से बहिष्कार करते रहते हैं।

छत्तीसगढ़ के सतनामी, सूर्यवंशी, रामनामी के परिवार के लोग जीने-खाने के लिए पलायन कर अन्य प्रदेशों में बस गए हैं। उन्हें वहां अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये लोग असम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात आदि प्रदेशों में बस गए हैं, लेकिन वहां उन्हें अनुसूचित जाति न मानकर सामान्य वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार वे वहां अनुसूचित जाति का आरक्षण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहां प्रमाण पत्र के लिए उनका नाम 50 वर्षों से मिशाल में दर्ज होना चाहिए और उनका नाम वहां की मिशाल में नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें मजदूरी के कामों में लगे रहना पड़ता है। पढ़े-लिखे होने के बाद भी वे मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। वहां उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उन्हें निवास स्थान के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जा रही है। गरीबी-रेखा के अंतर्गत उनका गरीबी राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। उनके निवास प्रमाण पत्र के अभाव में, उनका राशन कार्ड न होने से शासन के द्वारा जो चावल उनको एक रुपया, दो रुपये या तीन रुपये में मिलना चाहिए, उससे वे वंचित हो रहे हैं। सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने में कोई कठिनाई होती, लेकिन यह विडम्बना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है।

छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आकर बसे हैं, वहां उन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार से अनुसूचित जाति के लाभ भी मिल रहे हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल भी किया गया है, परन्तु छत्तीसगढ़ के सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी आदि को अन्य प्रांतों की अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। इस पर सरकार का चिन्तन होना चाहिए। मैं इस संशोधन विधेयक पर सहमति प्रकट करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ।

इसके अलावा, मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी की पीढ़ी के लोगों ने कभी भी चमड़े का कार्य नहीं किया। उन्होंने न तो कभी जूते बनाए और न ही कभी जूते की दुकान लगाई है। वे शुद्ध रूप से किसानों या खेती-मजदूरी करते रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की अनुसूची की प्रविष्टि 14 में अंकित किया गया है, जो चमार की

श्रेणी में लिखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश की सरकार ने चमार और हरिजन शब्द को विलोपित कर दिया है। साथ ही, उन्हें चमार या हरिजन कहने, बोलने या लिखने पर अनुसूचित जाति एक्ट लग जाता है। परन्तु शासन की उस प्रविष्टि क्रमांक-14 में चमार शब्द को विलोपित क्यों नहीं किया गया? छत्तीसगढ़ में चमार जाति की कोई अनुसूचित जाति नहीं है। अतः प्रविष्टि क्रमांक-14 को चमार नाम से लिखा जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अन्तर्गत सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी को दर्शाया गया है। चमार शब्द को विलोपित करने का आदेश 1926 में सी०पी० बरार प्रांत में ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था। हरिजन शब्द को विलोपित करने हेतु 1991 में मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा के शासनकाल में आदेशित किया गया था। अतः मैं चाहता हूँ कि इस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार न हो और न्याय किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**डा. अनिल कुमार साहनी** (बिहार): उपसभापति महोदय, आपने जो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही अभी जो हरियाणा, कर्णाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची के संबंध में यहां पर जो बिल लाया गया है, हमारे दल के अली अनवर साहब ने इसका समर्थन किया है और मैं भी इसके समर्थन में खड़ा हूँ। साथ ही अन्य साथी श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री वीर सिंह जी ने जो अभी प्रस्ताव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं कुछ राज्यों के बारे में माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि बिहार से 1980 से कुछ जातियों को अनुसूचित जाति, जनजाति में शामिल करने के लिए बार-बार रिकमंडेशन आते रहे हैं, चाहे डा० जगन्नाथ मिश्र की सरकार रही हो या लालू प्रसाद की सरकार रही हो, फिर राबड़ी देवी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार जी की सरकार हो, उनकी सारी रिपोर्ट आपके पास आई हैं, जिनमें इन जातियों को शामिल करने के लिए बार-बार कहा गया, जो जातियां नूनिया, तुरहा, कहार, मल्लाह, निषाद, नाई, तांती, ततमा, कानू हलवाई, कश्यप, केवट, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, विन्द, भर, मछुआ, गोड़, बेलदार हैं। इन जातियों की अभी तक आपने इथनोग्राफिकल रिपोर्ट मांगने के लिए कहा। मगर अब तक कौन सी रिपोर्ट बन रही है, इस पर आप जरा ध्यान दीजिए कि यैस (हां) या नौ (ना) के रूप में आपके पास कोई रिपोर्ट आई है या नहीं? अगर उसकी कुछ रिपोर्ट आई है तो सदन को बतलाने का कष्ट करें। साथ ही मैं कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो कि एक मछुआ समाज है और इसको हर स्टेट में जैसे कि यह दिल्ली में अनुसूचित जाति में है, असम में है, जिसको अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे असम में जलकुउट, झालो-मालो, कैबर्ता जालिया, पश्चिम बंगाल में बिन्द, जालिया कैबर्त, झालो-मालो, केउट, केयोत, महार, मल्लाह, संघ क्षेत्र दिल्ली में मल्लाह, त्रिपुरा में जालिया कैबर्ता, कहार, केउट, उत्तराखंड में बेलदार, गोड, मझवार, मध्य प्रदेश में कीर, खैरवार, मांझी, मझवार तथा उत्तर प्रदेश में गोड़, बेलदार, मझवार, खरवार, तुरेहा, महाराष्ट्र में कोली ढोर, महादेव कोली, मल्हार कोली, डोंगर कोली, एस०सी०, एस०टी० में आते हैं मगर खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में इन्हीं जातियों का जो वंशज है, इन्हीं जातियों के जो लोग वहां रहते हैं आज तक उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया है। इसी की रिकमंडेशन माननीय मुख्य मंत्रियों द्वारा समय-समय पर, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उन्होंने की है इन जातियों को शामिल करने के लिए। इन जातियों के बारे में आप एक सर्वेक्षण कराकर देख लीजिए कि इनका रहन-सहन, खान-पान, बोली-भाषा, कपड़ा-लत्ता, घर-द्वार सब एक तरह का है और किसी

[डा. अनिल कुमार साहनी]

अनुसूचित जाति से मिलता-जुलता है या नहीं, इसको आप देख लीजिए। अंग्रेजों का शासन दो सौ वर्षों तक इस देश में रहा और उन्होंने इन जातियों को एक नाम दिया, उसका नाम था फिशरमैन। इन जातियों को जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ हर स्टेट का, उसका एक ही फिशरमैन नाम दिया गया। उनको पूछेंगे तो वह कहेंगे कि हम फिशरमैन हैं। कहीं पर मल्लाह कहेगा, कहीं पर निषाद कहेगा। समय खत्म हो चुका है मगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आरक्षण भी बढ़ाना चाहिए, जैसा हमारे वीर सिंह जी भी बोले, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि आप आरक्षण में भी बढ़ाएँ, जब इन जातियों को बढ़ा रहे हैं। इसका सर्वेक्षण करवाएँ कि आज तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि जो शोषित, उपेक्षित, गरीब है, देश को आजाद हुए 68 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक उसको कुछ मान-सम्मान मिला है या नहीं, इसका सर्वेक्षण कराने का काम कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो नक्सलवाद और माओवाद का बढ़ावा इस देश में हो रहा है, इन्हीं खामियों के कारण हो रहा है, इसी खाई के कारण हो रहा है। तो खाई पाटने का काम करें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप इसकी जांच कराकर इन जातियों में से जो अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने लायक जातियाँ हैं, उन्हें चंद सुविधाओं के साथ शामिल करने का कष्ट करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि अन्य राज्यों में आप एक सर्वेक्षण जरूर करा लें। जय हिन्द।

**श्री नंद कुमार साय** (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने संविधान में कुछ अलग-अलग प्रदेशों—हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और दादरा नगर हवेली के संशोधन प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा उत्तरांचल से उत्तराखंड वाला विषय भी इस में है। हमारे बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रदेशों की बहुत बड़ी सूची प्रस्तुत की है, उससे लगता है कि और भी क्षेत्रों में जो ऐसी जातियाँ बची हुई हैं, उनके बारे में भी विचार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने इस के लिए आयोग बनाने की बात भी कही है।

महोदय, पिछली बार भी इस बारे में हमने इस संबंध में चर्चा की थी और इन मामलों में मात्रा या अल्प-विराम में फर्क पड़ गया तो उस जाति के लोगों को वे सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसका सब से बड़ा कारण अंग्रेजी है। इसलिए मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि आप उसे हिंदी में लिखें, क्षेत्रीय भाषा में लिखें और आखिर में अंग्रेजी में लिखें ताकि यह जब फिर से लिखा जाए तो गलती की पुनरावृत्ति न हो।

महोदय, इस में दो-तीन और भी गड़बड़ियाँ शुरू हो गई हैं। असल में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले पिछड़ रहे हैं और नकली लोग सामने आ गए हैं। उनका प्रमाण-पत्र बहुत जल्दी बनता है और पुराने लोगों का जैसाकि अभी जांगडे जी ने बताया, उनका मिसल बंदोबस्त नहीं मिलेगा, जमीन का रकबा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसे बनाया नहीं जाएगा। इसलिए इस तरह की अलग-अलग राज्यों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं और मूल जातियों व मूल जनजातियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए और नए लोग जो इन में शामिल हो रहे हैं, उन्हें रोकिए। वे अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं। उनका कहीं प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके प्रमाण-पत्र तुरंत बन जाते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब संविधान सभा ने आरक्षण के संबंध में चर्चा आरंभ की तो उसकी अवधारणा यह थी कि ये जातियाँ आर्थिक, सामाजिक व सभी दृष्टि से बहुत कमजोर थीं

और इन्हें ऊपर उठाकर राष्ट्र में समान रूप से आर्थिक, सामाजिक व नैतिक स्तर पर बराबर की स्थिति में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। भारतीय वांगमय में इस राष्ट्र को राष्ट्र पुरुष कहा गया है। यह राष्ट्र पुरुष तब तक सबल नहीं हो सकता जब तक कि उस के सारे अंग मजबूत, स्वस्थ व ताकतवर न हो जाएं। इसी भावना को लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अलग-अलग समाज व अलग-अलग जातियां—जो कमजोर व पिछड़ी हुई व वनों में रह रही थीं, उन्हें सभी दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। दुर्भाग्य की बात है कि आज देश को आजाद हुए 6-7 दशक होने के बाद भी उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। आप सारे राज्यों में देखें, वहां प्राइमरी स्कूल्स कहां हैं? हमारे मित्रों ने बताया कि बहुत से स्कूलों में फीस बहुत है और उनके बच्चे भर्ती ही नहीं हो पाते। दूसरे शासकीय स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। अगर शिक्षक हैं भी तो वे जाते नहीं हैं, अगर शिक्षक हैं, वे जाने की कोशिश करते हैं तो वहां विद्यालय भवन नहीं हैं। अगर आप शिक्षा में भी उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे तो लिस्ट में उनको शामिल करके केवल थोड़ा बहुत उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा, कई और सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन जिस सीमा तक संविधान सभा की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की जो मान्यता थी कि सारे समाज को खड़ा करना है, उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महान राष्ट्रपुरुष के विचार को उसी रूप में खड़ा करने के लिए, जैसी कल्पना की गई है, जो लोग आरक्षण में छूट गए हैं, उनके लिए फिर से विचार किया जाए, कैसे उनको हर स्तर पर सहयोग दिया जा सकता है और जो कमियां रह गई हैं, उन पर आप गंभीरता विचार करें।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, लंबे समय तक इसकी चर्चा शुरू हो जाती है कि ये जो आरक्षित लोग हैं, आखिर इनको कितना समय दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप जिस समय तक समय दे रहे हैं, उसमें इनकी पूरी व्यवस्था तो करिए। लोगों का यह भी कहना है कि उनके लिए जो फंड्स आए हैं, उनको उनकी शिक्षा में, उनके अलग-अलग उन्नयन के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन वे फंड्स दूसरे मदों में खर्च हो जाते हैं और इस पर कोई रोक लग नहीं रही है। इसीलिए कहीं न कहीं इस आरक्षण में जो सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही हैं। ट्राइबल सब-प्लान में या दूसरे प्लान में इन जातियों के लिए जो पैसा आ रहा है, वह भी ठीक से वहां तक नहीं पहुंच पाता है। बीच में ही 95 पैसे गायब होकर के आखिरी में केवल 5 पैसे पहुंचे, तो यह नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक यही हो रहा है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

माननीय उपसभापति जी, यह जो संविधान (संशोधन) विधेयक आया है, इसमें कुछ जातियों को सम्मिलित करने का विषय है, उसका तो हम समर्थन करेंगे ही, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे विषय, बहुत सारी लिस्ट बची हुई है, उनको भी आप कैसे करेंगे, कब शामिल करेंगे? इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें और इस पर चिंतन करके कोई न कोई ऐसी व्यवस्था ले जाएं। हम लोग आने वाले समय में हर दिन दो-चार जातियों को शामिल करते रहें, इसके बजाय समग्रता से देश के अलग-अलग राज्यों में इसकी जांच-पड़ताल हो और जो बचे हुए लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए। ऐसी व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देकर मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

SHRI S. THANGAVELU (Tamil Nadu): Sir, I am very grateful to you for permitting me to participate in the discussion. I also take this opportunity to express my gratitude to my Party Leader, Dr. Kalaignar, for giving me this opportunity. I am also very thankful to the Chair for permitting me to put forth the views on behalf of my Party, DMK.

Our Party, DMK, always works hard for the upliftment of downtrodden people. Sir, way back in 1969-71, when Dr. Kalaignar was Chief Minister of Tamil Nadu, he created a separate Ministry for the Scheduled Castes. Our Leader, Dr. Kalaignar, started the scheme of building concrete houses for Scheduled Castes. Sir, this shows how he is committed to the welfare of the Scheduled Castes and their upliftment.

Sir, it is under the able leadership of our leader, Dr. Kalaignar, that the quantum of reservation for SCs was increased from 16 per cent to 18 per cent. Not only this, he also made a separate provision of one per cent reservation for STs also. Thus, he always worked to eradicate social discrimination, which is considered as the most severe crime and the worst form of human discrimination.

Sir, people belonging to Badaga Kattunayakkan community in Tamil Nadu are demanding ST status for them. So, it is right time to give them that status. Moreover, *dalits* who converted to Christianity lost their Scheduled Caste status. Even after their conversion to Christianity, their social status remains the same. They are demanding SC status. In this regard, our Party Leader, Dr. Kalaignar, has also written to the Prime Minister. There is justification in their claim. I request the Government to consider their demand and bring a suitable legislation in this regard.

During the Winter Session in December, 2014, also I was given an opportunity to put forth the views of DMK on the Bill pertaining to Sikkim and other States. With these vital submissions, I support the Bill and also urge the Minister to look into the suggestions of granting SC status to Christian *dalits*. Thank you.

**श्री दिलीप कुमार तिरकी** (ओडिशा): उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे दोबारा यह संशोधित विधेयक सदन के सामने लाए हैं। इस विधेयक से हरियाणा और कर्नाटक के अलावा ओडिशा के कुछ समुदायों को एस.सी. की लिस्ट में शामिल करने की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है। यह बहुत जरूरी कदम था। ये जातियां पिछड़ी और आर्थिक रूप से काफी कमजोर थीं और इस लिस्ट में शामिल होने की हकदार थीं। मैं इस अवसर पर मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन जातियों के अलावा भी ओडिशा सरकार ने कई अन्य जातियों को भी एस.सी. लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की हुई है। कृपया उस पर भी ध्यान देने का कष्ट करें। कई बार समान नाम से कई समुदाय एस.सी. की लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। मैं अपने इलाके सुंदरगढ़ में ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसके रिश्तेदार एस.सी. लिस्ट में हैं, मगर किसी तकनीकी कारण से उस परिवार के लोग एस.सी. लिस्ट से बाहर हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस लिस्ट की एक बार ठीक से स्टडी कर ली जाए।

महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और पी.एस.यूज. में एस.सी. और एस.टी. के लोगों के पद बढ़ी संख्या में खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए आप स्पेशल ड्राइव चलाएं। तभी संशोधन का असली फायदा होगा।

महोदय, कई बार ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि एस.सी. और एस.टी. फंड का डायवर्सन कर के अन्य कार्यों पर उसे खर्च कर दिया जाता है और कई बार जो फंड अलॉट होता है, उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं होता। यह बहुत गंभीर मामला है। मंत्री जी, कृपया आप इसे भी देखें।

महोदय, देश में एस.सी. और एस.टी. पर अत्याचारों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह बहुत चिन्ता की बात है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो बिल लाया गया था, वह स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उसे जल्द से जल्द पास कराइए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सरकारी नौकरियों में इन लोगों की संख्या बहुत कम है। 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में नहीं जाते हैं। इसलिए अगर हम सचमुच एस.सी. और एस.टी. का विकास चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में इनके लिए आरक्षण लागू करना बहुत जरूरी है। अमेरिका जैसे विकासशील देश में भी प्राइवेट सेक्टर में अश्वेतों के लिए अफरमेटिव एक्शन के नाम से आरक्षण की व्यवस्था है। प्रधान मंत्री जी का 'सबका साथ, सबका विकास' के नाम से जो नारा है, वह तभी साकार होगा, जब एस.सी. और एस.टी. भी समाज की मुख्यधारा में आएँ और उन्हें समान अवसर मिले। इसलिए सरकार को इस बारे में आम सहमति बनाने के लिए पहल करनी है।

महोदय, अन्त में, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय में दलित हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Mr. Minister.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also have to say something on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But you gave your name very late. Okay. Just make points.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Deputy Chairman, this Bill has been pending for almost one year. It would have been passed in February, 2014 itself. This order is being awaited by masses all across Karnataka, Odisha, Haryana and several other States. At this point, I would request the Union Government to have a socio-anthropological study in order to assess the occupational and social standards of several castes like Boya Valmikis, Rajakas, Vadderas, in particular, in the Telugu



[Shri Ananda Bhaskar Rapolu]

States, and the issue of the *Dalit* Christians. Besides, there is a lot of urge to have the anomalies corrected. As mentioned by Dr. Satyanarayan Jatiya from the Treasury Benches, with the words '*Sarga, Visarga*' missing, there is a sense of great deprivation among several castes which still have the status of being just 'Scheduled Castes' only.

Sir, I call upon the Union Government to have a comprehensive socio-anthropological study at this juncture in order to attain a proper list and give it constitutional validity. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Minister, please.

**श्री थावर चन्द गहलोत :** माननीय उपसभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में जिन 16 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसका समर्थन किया, मैं उन सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित कराएंगे।

महोदय, कुछ बातें तो बहुत कॉमन हैं, जिनका मेरे ख्याल से अलग-अलग नाम लेकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं यह कहूँ कि विषय तो सीमित है, परंतु जो चर्चा हुई, वह मेरे मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सभी विषयों पर हुई और उन सब विषयों पर विस्तार से जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं होगा, परंतु मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने नवंबर, दिसंबर के सत्र में भी इसी प्रकार का एक विधेयक पारित किया था। उसमें हमने बहुत सारे अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची नामों को सम्मिलित किया था और उन लोगों को जो उन जातियों में आते थे, परंतु जिन्हें सुविधा नहीं मिलती थी, वह सुविधा उपलब्ध कराई। अब तीन महीने बाद ही इस बजट सत्र में भी, विशेषकर पहले दिन ही, राष्ट्रपति अभिभाषण के दूसरे ही दिन माननीय वेंकैया नायडु साहब और आसन्दी की कृपा से आज पहले दिन ही यह चर्चा में आया है और पारित होने जा रहा है। जिन जातियों के पर्यायवाची नाम हैं, उनको हम इसमें जोड़ रहे हैं, उसके बारे में फिर से कुछ कहने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। आप सबने उसका समर्थन किया है, परंतु बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे प्रतिशत के आधार पर पैसा मिलना चाहिए, पैसे के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ऐट्रोसिटीज़ ऐक्ट के बारे में, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, सभी प्लान्स के पैसे का सही उपयोग होना चाहिए, उसका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, इन सब विषयों पर हमने सक्रियता से प्रयास प्रारंभ किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐट्रोसिटीज़ ऐक्ट का मामले में हमने बिल प्रस्तुत किया है, परंतु वह पार्लियामेंटरी कमेटी के पास विचाराधीन है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस पर हम विधेयक तैयार करेंगे और जो विधेयक आया है, उसको फिर से लाने का प्रयास करेंगे। उसको पारित कराने का भी प्रयास करेंगे।

पुनिया साहब ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, वे इसी से संबंधित थे। माननीय जटिया जी ने भी सुझाव दिए हैं, वे भी लगभग ऐसे ही हैं और अली अनवर अंसारी जी ने इसका समर्थन किया और उसके साथ कहा कि बार-बार बिल लाते हैं और पास कराते हैं, तो यह एकमुश्त क्यों नहीं करा लिया जाता? अब मैंने पहले भी बताया था कि राज्य सरकार अपने राज्य में कौन सी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाना चाहती है, उसके लिए वह प्रथम दृष्टया उसका अध्ययन करती है और अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव भारत सरकार के पास, अर्थात् हमारे मंत्रालय के पास

भेजती है। फिर हम उसके गुण-दोषों पर विचार करने के लिए उसे आरजीआई को भेजते हैं और जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 है, जिसके आधार पर वे जातियां लिस्टेड हुई हैं, उसके आधार पर आरजीआई उनका बैकग्राउंड देखता है, उसके गुण-दोषों पर विचार करता है और फिर वे हां या न का जवाब देते हैं। अगर वे हमको हां कर देते हैं, सहमति दे देते हैं तो फिर हम उस पर विचार करके प्रतिवेदन देने के लिए उसको एससी आयोग के पास भेजते हैं और एससी आयोग भी अगर सहमति दे देता है, अर्थात् आरजीआई और एससी आयोग, दोनों सहमति दे दें और राज्य सरकार का प्रस्ताव हो, तो हम बिना किसी कठिनाई के उसको स्वीकृति दे सकते हैं और दे देते हैं। अभी तक इस प्रक्रिया का, इस परंपरा का हमने अनुपालन किया है। इसी आधार पर हम कर सकते हैं, इससे भिन्न उपाय हमारे पास नहीं है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां के प्रस्ताव आए हैं, आपने उन पर क्या विचार किया है? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे अनिल कुमार जी ने कहा, तो बिहार का केवल एक प्रस्ताव हमारे पास है, जो आरजीआई के पास विचाराधीन है। बाकी कोई भी प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है। जो प्रस्ताव पहले आए थे, वे प्रस्ताव या तो आरजीआई ने रिजेक्ट कर दिए और रिजेक्ट करने के बाद हमने राज्य सरकार को लिखित में भेज दिया कि आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें, तो आप कर दें। उनकी टिप्पणी का इंतज़ार है। अगर वे कोई सकारात्मक टिप्पणी देंगे, या फिर कोई सुझाव देंगे, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि फिर हम उन्हें आरजीआई के पास भेजेंगे और एससी आयोग के पास भेजेंगे। जैसे उन्होंने जो जातियों के नामों की गिनती की थी, मैं बताना नहीं चाहता, नोनिया है, तांती है, ततवा है, कुम्हार है, प्रजापति है, कानू है, चंद्रवंशी है, कहार है, कमकर है, राजभर है, मल्लाह है, नाई है, धानुक है, बिंद है। इनमें से केवल बिंद जाति अभी हमारे विचाराधीन है, बाकी सबको आरजीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। हमने फिर से राज्य सरकार के पास प्रतिक्रिया जानने के लिए पत्र भेजा है। जब उनका उत्तर आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जातियों के बारे में भी कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरजीआई ने जिन जातियों का नाम लिया था, पांच, सात, आठ जातियां, उन सबको रिजेक्ट कर दिया और हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा, उन्होंने फिर कुछ लिखा, हमने फिर आरजीआई को भेजा, आरजीआई ने फिर से रिजेक्ट कर दिया। हमने 24 मार्च, 2014 को उनको पत्र भेज रखा है कि इस संबंध में आपका क्या कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जवाब आने पर पता लगेगा कि उनकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो टिप्पणी होगी, अगर वह आरजीआई के पास भेजने लायक होगा तो हम आरजीआई के पास भेजेंगे, एससी आयोग से राय लेनी होगी तो एससी आयोग के पास भेजेंगे और उनसे राय लेकर उन मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित बहुत सी बातें हैं, जैसे सब-प्लान की बात आयी है। अब एससी सब-प्लान population के मान से मिलना चाहिए और उसका उपयोग उन्हीं वर्गों के लिए, या तो individual या जिस मोहल्ले में वे रहते हैं, खर्च होना चाहिए। कुछ राज्यों से इस प्रकार की शिकायत आयी कि कहीं तनखाह दे दी, कहीं छात्रवृत्ति बांट दी, कहीं और किसी काम में उसे उपयोग में लाया गया। विशेषकर दिल्ली की शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में 744 करोड़ रुपए, जो अनुसूचित जाति उप-योजना के पैसे थे, उन्हें स्टेडियम बनाने के लिए खर्च कर दिया। हमने उनसे भी पत्र व्यवहार किया है। जो नयी सरकार आयी है, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे और प्रयास करेंगे कि जिस धनराशि को अन्य किसी मद में खर्च कर दिया गया है, उसका

[श्री थावर चन्द गहलोत]

उपयोग, वापस जिस उद्देश्य से यह बनाया गया है, उसी में करें। मैं इस अवसर पर कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण की बहुत सारी योजनाएं अभी हमने बनायी हैं। हर स्तर पर, प्री-मैट्रिक हो या पोस्ट-मैट्रिक हो या उच्चतम शिक्षा की छात्रवृत्ति की बात हो, हमने अभी हरेक में बढ़ोतरी की है। उस बढ़ोतरी के साथ-साथ छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लोगों की जो आय लिमिट थी, उसमें भी वृद्धि की है। कुल-मिलाकर हमने हर स्तर पर सुविधा देने का प्रयास किया है और उसमें बढ़ोतरी की है। अगर कोई अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं विदेश जाकर पढ़ना चाहें तो हमने उनके लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है और उन्हें चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा देने की व्यवस्था की है। उस ऋण की वसूली की कार्यवाही भी तब होगी, जब वह पढ़-लिखकर अपने यहां वापस आ जाएंगे या कारोबार करने लग जाएंगे, उन्हें वेतन भत्ते आदि सुविधा मिलने लग जाएगी, आर्थिक आय होने लग जाएगी, तब हम वह वसूली की कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही साथ हमने अभी लघु उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से एक योजना लांच की है और उसे अभी-अभी प्रारम्भ किया है। हमने उसमें 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, वह योजना है—उद्यमी योजना।

अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ही वह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही साथ एक हरित व्यवसाय योजना भी पिछली 16 जनवरी से लागू की है। इस योजना में हम गरीब से गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को सहायता देंगे। इसमें हम विशेषकर महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं और एक लाख रुपये तक की, 45-50 हजार रुपये तक की सुविधा देते हैं तथा उस पर सबसिडी भी देते हैं। इसमें विशेषकर ई-रिक्शा के लिए तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर लोन देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर हम इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से और कार्य योजना संचालित करने की दृष्टि से उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन जातियों के लिए उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, वे आर.जी.आई. ने रिजेक्ट कर दिए हैं और उससे संबंधित जानकारी हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। जैसा कि आपने कहा था कि 15.02.2013 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी भेजी, फिर 19.02.2013 को भेजी, परन्तु उसके बाद 14.03.2014 को आर.जी.आई. ने असहमति देते हुए हमें सूचना दी और दस दिन के अन्दर हमने राज्य सरकार को विस्तृत ब्यौरा लिखकर भेज दिया। उनसे अभी टिप्पणी आनी अपेक्षित है और वह टिप्पणी आने के बाद ही हम आगे विचार कर पाएंगे। यह जो प्रस्ताव है, आपने भी बताया, उन्होंने भी बताया, परन्तु यह प्रस्ताव 2005-2007 से चल रहा है। हर बार जब आर.जी.आई. ने कोई टिप्पणी की और उनसे प्रतिक्रिया मांगी, तो वहां से जवाब आया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके पहले भी जिस जाति को जोड़ने की बात कही, उस संबंध में भी वहां से यह जवाब आया था कि हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। जब उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया, तो वह वहीं समाप्त हो गया। फिर से उन्होंने प्रस्ताव भेजा, फिर से आर.जी.आई. ने मना कर दिया और हमने फिर से टिप्पणी मांगी है। अगर उनकी टिप्पणी अनुकूल आएगी, तो हम उस पर आगे विचार करेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने संशोधन वापस ले लें और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करें। हम भी आग्रह कर रहे हैं कि वह क्या टिप्पणी देना

चाहती है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है, क्या सुझाव देना चाहती है, उन्हें वह जल्दी से जल्दी भेज दे ताकि हम आगे उस पर विचार कर सकें। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने संशोधन वापस ले लें और इसके साथ ही वे उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करें कि उसे इस संबंध में जो कहना है, वह कहे, ताकि हम आगे विचार कर सकें।

श्री अली अनवर अंसारी साहब ने धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात कही है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हिन्दू, सिख और बौद्ध के अलावा और किसी को अभी इस प्रकार के मामले में अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। आपकी मांग असंवैधानिक है। सरकार की मंशा अभी तक संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य योजना संचालित करने की है, नियम-कानून बनाए रखने की है। इस संबंध में इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अहमद हसन जी ने भी कुछ सुझाव दिए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उन पर हमारे विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। डा. भूषण लाल जांगड़े जी ने बताया कि एक राज्य में एक जाति एस.सी. में है, दूसरे राज्य में वही जाति ओबीसी में है, तीसरे राज्य में किसी और में है। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि एक ही प्रांत में दो जिलों में एक जाति अनुसूचित जाति में है, दूसरे दो जिलों में वही जाति ओबीसी में है, तीसरे दो जिलों में वही जाति एस.टी. में है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, परन्तु इस संबंध में एक बार नहीं, अनेक बार उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए हैं कि जिस राज्य में वह व्यक्ति गया है, वहां पर जो जाति दर्ज है, उसको उसी जाति की सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

परन्तु केंद्र सरकार की नौकरी आदि में उस राज्य से इस राज्य में आ गया, फिर भी केंद्र सरकार की योजनाओं में विशेषकर नौकरी में, उसको उसकी सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर यह जो विधेयक है, यह बहुत सीमित है और माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, वे बहुत विस्तृत हैं। मुझे मेरे विभाग की सब योजनाओं की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं एक-एक करके हर एक बिन्दु की जानकारी देने के लिए तैयार हूँ।

**श्री उपसभापति:** आप लिख कर दे दीजिए।

**श्री थावर चन्द गहलोत:** आप जैसा आदेश करेंगे, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। अंत में, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह अनुसूचित जाति के हित संरक्षण का विधेयक है। इसको सर्वानुमति से पास करने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से सूचनाएं मंगाई गई हैं। मेरे पास मुख्य मंत्री द्वारा जारी की गई एक बुकलेट है। इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार को प्रेषित किए गए महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। इनमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र संख्या: ओ-517/ सीएम-1, एक दिसम्बर, 2014 को प्रधान मंत्री जी से सीधे निर्णय लेने का अनुरोध किया है। भारत सरकार से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आपने आपत्ति लगाई है, आप उसकी भेजी हुई कापी हमें दे दीजिए। मैं इस बारे में स्वयं बात करूंगा। वहां पर कहा जाता है कि हमारे पास से

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

कोई पत्र नहीं गया है। वहां से पत्र भेजा जाता है, तो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई पत्र नहीं आया है। मान्यवर, यह तो विरोधाभास है। यह सदन है और यहां यह नहीं होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... माननीय मुख्य मंत्री की कापी है, उन्होंने भेजा है ...**(व्यवधान)**... और आप कह रहे हैं कि हमने उनको भेज दिया। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** हो गया ।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Yes, Mr. Sahani, what is your question?

**डा. अनिल कुमार साहनी:** उपसभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया था, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि कई बार वहां के मुख्य मंत्री की तरफ से, वहां के प्रशासन की तरफ से, आपको लिखकर आता है कि यथास्थिति बनाए रखिए, फिर उसके बाद किया जाता है। किसी-किसी मुख्य मंत्री ने ऐसा किया है और चुनाव के समय वे घोषणा करके वोट लेते हैं। हमें उसकी चिट्ठी दिखाइए। ...**(समय की घंटी)**... हमें वह पत्र दिखाइए, ताकि हम यह सवाल कर सकें कि किस मुख्य मंत्री ने आपको यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। और आपको दोबारा कहा जाता है कि फिर बनाइए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Gehlot. Would you like to react? क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं ?

**श्री थावर चन्द गहलोत:** सर, मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर दोहरा देता हूँ 24 मार्च 2014 को हमने RGI के प्रतिवेदन के संबंध में वहां की राज्य सरकार को लिखा है, परन्तु अभी तक हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। हमारे सेक्रेटरी द्वारा लिखा हुआ यह 24 मार्च, 2014 का पत्र है। आप यदि कहेंगे, तो आपको मैं इस पत्र की प्रति दे दूंगा या जब आप मुझसे आकर मिलेंगे, तो मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बताकर, संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. So, hon. Member can get it from the Minister. ...*(Interruptions)*...

Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the States of Haryana, Karnataka and Odisha and the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No. 3) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. I hope, you are...

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है हम अपना पत्र उपलब्ध करा देंगे। मैं उनसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि यह संस्तुति आ जाती है, तो क्या आप उन जातियों को इसमें जोड़ने का काम करेंगे? यदि आप यह करते हैं, तो मैं इसे मूव नहीं करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Amendment is not moved. I shall now put clause 2 to vote.

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No. 2) by hon. Minister, Shri Thaawar Chand Gehlot.

#### **CLAUSE 1 - SHORT TITLE**

**श्री थावर चन्द गहलोत:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक '2014' के स्थान पर अंक '2015' प्रतिस्थापित किया जाए।

**The question was put and the motion was adopted.**

**Clause 1, as amended, was added to the Bill.**

#### **Enacting Formula**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there is one amendment (No. 1) in the Enacting Formula by the hon. Minister.

**श्री थावर चन्द गहलोत :** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "पेंसठवें" के स्थान पर "छियासठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

*The question was put and the motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Title was added to the Bill.*

**श्री थावर चन्द गहलोत:** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

*The question was put and the motion was adopted.*

#### **The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants)**

##### **Amendment Bill, 2014**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014.